

**ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग—एक**

- 1 **(क) प्रस्तावना:—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री नरेन्द्र सिंह	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमती सरला देवी	23.01.16 से 31.03.16

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती अर्चना चट्टानी	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत चड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	6	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता—(क) में अन्तरित न करना	0.19
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	1.00
3	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.83
4	12	अधिक भुगतान	0.18

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरबीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.16 से 3.1.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15, 4/15 व 9/13, 12/14, 4/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 210 दिनांक 3.1.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत चड़ी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत चड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:—

(1) स्वः स्रोत:— ग्राम पंचायत चड़ी के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	154720	419706	574426	140785	433641
2014—15	433641	590085	1023726	235218	788508
2015—16	788508	242087	1030595	388580	642015

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत चड़ी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	213595	3717379	3930974	3863190	67784
2014-15	67784	1350840	1418624	1318500	100124
2015-16	100124	2771863	2871987	2771999	99988
दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2)					₹742003

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रमांक	अनुदान का नाम	के0सी0सी0 रैत स्थित बैंक खाता सं0	राशि
1	सभा निधि	20040016548 के0सी0सी0 रैत	641764
2	SDP, MPLAD	50054877941 के0सी0सी0 चड़ी	50653
3	TSC	50055779806 के0सी0सी0 चड़ी	48301
4	IAV	50051566360 के0सी0सी0 चड़ी	644
5	AAY/RAY	50055779715 के0सी0सी0 चड़ी	390
6	MNREGA	20100034720 के0सी0सी0 चड़ी	0
कुल			₹1953575

(1) अन्तशेष का विवरण:-

(क)	दिनांक 31.3.2016 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹742003
(ख)	दिनांक 31.3.2016 को बैंक में कुल जमा राशि	₹741752
(ग)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि	₹251

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और स्वः स्त्रोत हेतु पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम-3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में

पंचायत निधि खाता—क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 खाता "ख" में अर्जित ब्याज ₹0.19 लाख के को खाता "क" में अन्तरित न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	वर्ष			कुल ब्याज (₹)
	2013—14	2014—15	2015—16	
50054877941	3373	1846	3265	8484
50055779806	—	1541	3200	4741
50051566360	133	119	644	891
50055779715	387	433	32	852
20100034720	3994	223	—	4217
जोड़	7887	4157	7141	19185

7 नियमों के विरुद्ध छः बैंक खातों का खोला जाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार छः बैंक बचत खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन चार अतिरिक्त बैंक खातों को बन्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹1.00 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹99988 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.83 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹283155 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकता को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 सहभागी समिति गठित किए बिना ₹8.50 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए पृथक सहभागी समिति गठित की जाएगी। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹8.50 लाख का व्यय बिना सहभागी समिति के गठन के किया गया। अतः नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्यों का निष्पादन बिना सहभागी समिति के गठन के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक कार्य के निष्पादन के लिए सहभागी समिति गठित करनी सुनिश्चित की जाए।

11 पावती को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:— (सभा निधि)

वाउचर संख्या 139 दिनांक 15.3.2014 के अन्तर्गत ₹4300 का भुगतान दर्शाया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

(i)	बिजली बिल	806
(ii)	कम्प्यूटर बिल	3494
	दूरसंचार विभाग बिल नं० 277163 दिनांक 4.3.14	

कुल 4300

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त भुगतान में से दूरसंचार विभाग की ₹3494 की पावती अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(1) सभा निधि से ₹18000 के अधिक भुगतान बारे:—

वाउचर संख्या 81 दिनांक 23.10.13 के अन्तर्गत श्री सुशील कुमार शर्मा को बिल संख्या 238 दिनांक 22.10.13 के अन्तर्गत ₹36000 का भुगतान रेत, बजरी की आपूर्ति हेतु किया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त भुगतान योग्य केवल ₹18000 बनती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

	मात्रा	दर	राशि
रेत	300cft	30	9000
बजरी	300cft	30	9000
	योग		₹18000

इस प्रकार ₹18000 के स्थान पर ₹36000 का भुगतान कर ₹18000 का अधिक भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली उचित स्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार

करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	—
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका:—यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 72 / 2017—खण्ड—1 —2310—2313 दिनांक: 21.04.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत चड़ी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

(परिशिष्ट-2)

ग्राम पंचायत चड़ी विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

क्रमांक	निधि	वा0स0/दिनांक	विवरण	(पैरा-9 के सन्दर्भ में) राशि
1	सभा निधि	64/5.9.13	मैसर्ज सुरेश कुमारी, कृष्ण चौहान एण्ड सन्ज द्वारा सरिया आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	74205
2	सभा निधि	71/19.9.13	मै0 सुशील कुमार शर्मा द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति	19000
3	सभा निधि	75/23.9.13	मै0 दीपक सरकारी ठेकेदार द्वारा रेत, बजरी क्रशर आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	32000
4	सभा निधि	86/1.11.13	मै0 देव भूमि ट्रेडर्स द्वारा सोलर लाईट की आपूर्ति हेतु भुगतान	71400
5	मनरेगा	80/24.9.13	मै0 सलेन्दर राण द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	28200
6	मनरेगा	94/15.10.13	—यथोपरि—	18950
7	मनरेगा	83 व 85/ 20.12.14	मै0 अशोक सोनी द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति हेतु भुगतान	39400

कुल ₹283155

(परिशिष्ट-3)

ग्राम पंचायत चड़ी विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा सहभागी समिति गठित किए बिना कार्य निष्पादन

(पैरा-10 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	कार्य का नाम	राशि
1	सभा निधि	निर्माण सामुदायिक भवन वार्ड-5	500000
2	सभा निधि	निर्माण आंगनबाडी भवन धरोट वार्ड-9 (250000+100000)	350000
कुल			₹850000